न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 27/2023

रामजीलाल पुत्र श्री सुगनाराम, उम्र 57 वर्ष, जाति जाट, निवासी खरबासों की ढाणी तन ग्राम टोडी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनूं।
– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी
आदेश निरस्त नामान्तरकरण संख्या 5473 दिनांक 28.04.2023
बेचान ग्राम टोडी, तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू।

उपस्थितिः–

1 .श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, एडवोकेट ––––– –––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 26.12.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.04.2023 नामान्तरकरण संख्या 5473 बेचान ग्राम टोडी तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– नामान्तरकरण संख्या 5473 दिनांक 13.03.2023 को विक्रय पत्र के जरिये भूमि अन्तरण होने के आधार पर अ0 धारा 135 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा बाद जांच स्वीकृत होकर वार्षिक रजिस्टर में दर्ज हुआ था। नामान्तरकरण प्रपत्र (प–21) में नामान्तरकरण संख्या 5473 स्वीकृत दिनांक 13.03.2023 के बाद करीब डेढ माह बाद पटवारी हल्का द्वारा प्रकरण 135(2) के तहत न्यायालय में विचाराधीन होने की गलत रिपोर्ट दिनांक 24.04.2023 को स्वीकृत नामान्तरकरण को खारिज करवाने का प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 24.04.2023 के पश्चात भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी दिनांक 24.

04.2023 को ही पटवारी रिपोर्ट व रिकार्ड को आधार पर बनाकर नामान्तरकरण खारिज किये जाने की गलत रूप से अनुशंषा की गई। इस प्रकार पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने न्यायालय के आदेश स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5473 दिनांक 13.03.2023 को खारिज करवाने के संबंध में बिना कानूनी प्रावधानों के क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट को गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस कारण आलौच्य आदेश निरस्त नामान्तरकरण संख्या 5473 दिनांक 28.04. 2023 आरम्भतः अवैध व शून्य होने से खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5473 दिनांक 13.03.2023 के 45 दिन बाद अ0 धारा 135(2) का उल्लेख करते हुए आदेश निरस्त नामान्तरकरण संख्या 5473 दिनांक 28.04.2023 कानूनी प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरित जाकर पारित किया गया है। अन्तर्गत धारा 135(2) के तहत अन्तरण रिपोर्ट के प्राप्त होने व अन्तरण रिपोर्ट पर अंतिम आदेश/निर्णय होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट द्वारा कार्यवाही किया जाना कानूनन संभव है। अंतिम निर्णय/आदेश पारित किये जाने के बाद अदालत मातहत को अ.धारा 135(2) के तहत पूर्व आदेश/निर्णय को किसी प्रकार से निरस्त करने का कोई क्षैत्राधिकार कानूनन प्राप्त नही होता है। इस कारण अदालत मातहत द्वारा विधि की भूल कारित कर आदेश जैर बहस निरस्त नामान्तरकरण संख्या 5473 दिनांक 28.04.2023 पारित किया गया होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील मैमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि:– प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 5473 दिनांक 13.03.2023 को दर्ज हुआ तथा दिनांक 28.04.2023 को खारिज किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि का उपहार पत्र 08 मार्च 2023 को दर्ज कर अ.धारा 135(2) में दर्ज का उल्लेख कर नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया। दिनांक 13.03.2023 को दर्ज नामान्तरकरण में पटवारी द्वारा दिनांक 24.04.2023 को पुनः की गई। प्रकरण में अ.धारा 135(2) का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2023 को पेश हुआ, जबकि दर्ज दिनांक 05.04. 2023 को कर लिया गया। अ.धारा 135(2) में दर्ज प्रकरण में 16.05.2023 पहली तारीख पेशी दी जाकर दिनांक 09.05.2023 को नोटिस जारी हुआ। जिसकी तामिल रिपोर्ट में अपीलान्ट को

लापता बता दिया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व ऑर्डरशीट में किये गये हस्ताक्षर भी भिन्न है। इस प्रकार प्रकरण में विरोधाभासी तथ्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही देकर लापता होना माना है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2023 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा प्रकरण को अ.धारा 135(2) के तहत पेडिंग मानते हुए विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अ.धारा 135(2) के तहत दर्ज प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि पत्रावली अन्तर्गत नियम 135(2) दिनांक 05.04.2023 को दर्ज हुई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2023 को पेश हुआ है, अतः पत्रावली अन्तर्गत नियम 135(2) प्रार्थना पत्र पेश होने से पूर्व ही गलत रूप से दर्ज की गई है, जो प्रथम दृष्ट्या गम्भीर अनियमितता है, अतः प्रभारी अधिकारी (भू0 अ0) कलेक्ट्रेट झुन्झुनू को प्रकरण की जांच कर दोषी कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा जावे।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपहार पत्र दिनांक 08.03.2023 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र विचाराधीन नही था, अतः अपीलाधीन आदेश गलत आधारों पर पारित किया गया था, अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। अतः अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड (प्रतिप्रेषित) किया जाता है कि विक्रय पत्र दिनांक 13.01.2023 तथा उपहार पत्र दिनांक 08.03.2023 से संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 1 माह में गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

पारित करें। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू